न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर
सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी — राकेश कुमार न्योल

प्रकरण संख्या – 71 / 2023 रेवेन्यु — निर्णय दिनांक – 13.08.2024

1 श्री लक्ष्मण पिता रतना दामा मीणा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गन्धवा फला हडमतिया तहसील झौथरी जिला डुंगरपुर राजस्थान

वादी

बनाम

1 श्री भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 136 भु राजस्व लेण्ड रेवेन्यु एक्ट वादी को काश्तकार घोषित करने इन्द्राज दुरूस्ती करने

अधिवक्ता वादीः–श्रीकांत जैन उपस्थित

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी गांव गन्धवा फला हडमतिया तहसील झौथरी जिला डूंगरपुर राजस्थान का स्थायी निवासी है। मेहनत मजदुरी व कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। वादी व उसके सहखातेदारों के कब्जे काश्त की संयुक्त खातेदारी आराजी ग्राम गन्दवा में खाता संख्या 545, खसरा नम्बर 4880, 4882, 4886, 5145, 5146, 5150, 5152, 5191, 5196, 5198, 5201, 5204, 5209 खेत कित्ता 13 कुल रकबा 0.9945 हैक्टेयर होकर वादी का 1/6 हिस्सा होकर स्थित है। वर्तमान में कब्जा मौके पर वादी व अन्य सहखातेदारों का पारिवारीक हिस्से के अनुसार यथावत रूप से बना हुआ है। वादी ने अपने संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने आवेदन पेश करने व प्रतिलिपि दिनांक 02.08.2023 को प्राप्त होने से जानकारी हुई कि वादी का नाम लक्ष्मीलाल पिता रतना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है। जबकि वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशन कार्ड, जन–आधार कार्ड में लक्ष्मण पिता रतना नाम दर्ज अंकित है। ऐसे में वादी ने राजस्व कर्मचारी से निवेदन कर रिकॉर्ड दूरस्त करने की बात की लेकिन रिकॉर्ड दूरस्त नहीं किया गया। जिस पर वादी ने प्रतिवादी से मिलकर रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ति करने की बात की तो संतोषद जवाब नहीं दिया गया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो वाद म्याद अवधि में पेश है। जरीये इन्द्राज दुरस्ती वादी व अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त की संयुक्त खातेदारी आराजी ग्राम गन्दवा में खाता संख्या 545, खसरा नम्बर 4880, 4882, 4886, 5145, 5146, 5150, 5152, 5191, 5196, 5198, 5201, 5204, 5209 खेत कित्ता 13 कुल रकबा 0.9945 हैक्टेयर होकर वादी का 1/6 हिस्सा में वादी का नाम लक्ष्मीलाल की जगह लक्ष्मण दर्ज कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी के समस्त राजकीय दस्तावेजात में वास्तविक सही नाम लक्ष्मण के नाम से ही जाना पहचाना जाता है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीग की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम गन्दवा में खाता संख्या 545, खसरा नम्बर 4880, 4882, 4886, 5145, 5146, 5150, 5152, 5191, 5196, 5198, 5201, 5204, 5209 खेत कित्ता 13 कुल रकबा 0.9945 हैक्टेयर होकर वादी का 1/6 हिस्सा में वादी का नाम लक्ष्मीलाल पुत्र रतना से लक्ष्मण पिता रतना किया जाने पर प्रतिवादी तहसीलदार को कोई आपती नही है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य रखी गई।

वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्री हकरा पिता लालु जाति दामा निवासी गन्धवा फला हडमतिया

1 प्रदर्श–1 संवत 2075–2078 की हाल जमाबंदी
2 प्रदर्श–2 राशन कार्ड
3 प्रदर्श–3 जन–आधर कार्ड
4 प्रदर्श–4 पहचान पत्र
5 प्रदर्श–5 आधार कार्ड
6 प्रदर्श– 6 जमाबंदी खाता संख्या 80 मौजा सारोली

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया वादी का वास्तविक नाम लक्ष्मण पिता रतना है। वादी के राजकीय दस्तावेजों में भी वादी का नाम लक्ष्मीलाल पिता रतना दर्ज अंकित है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसे वाद स्वीकार कर डिकी किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, अन्य दस्तावेजों, पत्रावली एवं तहसीलदार सीमलवाडा के जवाब रिपोर्ट, साक्ष्य का अवलोकन किया। जिससे साबित होता है कि वादी का नाम लक्ष्मण पिता रतना होना पाया गया है। उस अनुसार वादी के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी ग्राम गन्दवा में खाता संख्या 545, खसरा नम्बर 4880, 4882, 4886, 5145, 5146, 5150, 5152, 5191, 5196, 5198, 5201, 5204, 5209 खेत कित्ता 13 कुल रकबा 0.9945 हैक्टेयर होकर वादी का 1/6 हिस्सा में वादी का नाम लक्ष्मीलाल के बजाय लक्ष्मण रिकॉर्ड में दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है।

आदेश

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की आराजी ग्राम गन्दवा में खाता संख्या 545, खसरा नम्बर 4880, 4882, 4886, 5145, 5146, 5150, 5152, 5191, 5196, 5198, 5201, 5204, 5209 खेत कित्ता 13 कुल रकबा 0.9945 हैक्टेयर होकर वादी का 1/6 हिस्सा में वादी का नाम लक्ष्मीलाल के बजाय लक्ष्मण रिकॉर्ड में दर्ज कर शुद्ध किया जाने आदेश किया जाता है। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

डिकी व मुकदमें की इब्तदाई
(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)
(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियरा डी–1)

अाज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखंड अधिकारी सीमलवाडा श्री राकेश कुमार न्योल

प्रकरण संख्या– 71/2023 रेवेन्यु

लक्ष्मण बनाम भूमिधारी

वाद अर्न्तगत धारा 136 भु राजस्व लेण्ड रेवेन्यु एक्ट, वादी को काश्तकार घोषित करने इन्द्राज दुरूस्ती करने

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरूः– श्री राकेश कुमार न्योल
व हाजरीः–

श्रीकांत जैन मिनजानिब मुदई उपस्थित व मिनजानिब मुदायलाह की ओर, कार्यवाही का होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि–

वादी की आराजी ग्राम गन्दवा में खाता संख्या 545, खसरा नम्बर 4880, 4882, 4886, 5145, 5146, 5150, 5152, 5191, 5196, 5198, 5201, 5204, 5209 खेत कित्ता 13 कुल रकबा 0.9945 हैक्टेयर होकर वादी का 1/6 हिस्सा में वादी का नाम लक्ष्मीलाल के बजाय लक्ष्मण रिकॉर्ड में दर्ज कर शुद्ध किया जाने आदेश किया जाता है।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 13.08.2024 को जारी की गई

दस्तखत. . . . .
ओहदा . . . .
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा